राजस्थान विधान सभा

छठा सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 17 मार्च, 2016

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत म0 रणधीर सिंह भीण्डर , सदस्य, विधान सभा, सलूम्बर क्रय-विक्रय सहकारी समिति की राशन की चीनी की कथित कालाबाजारी के संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री ललित कुमार, सदस्य, विधान सभा, सहरिया और कथौड़ी परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ खैरवा जनजाति को भी दिये जाने के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन

श्री कालीचरण सराफ, उच्च शिक्षा मंत्री, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम, 1987 की धारा-38(4) के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखेंगे।

4. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री मोहन लाल गुप्ता, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (संख्या-4) वर्ष 2009-2010) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 37वां प्रतिवेदन;

2- बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड़ (राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड़ की संयुक्त कम्पनी) (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2010-2011) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 38वां प्रतिवेदन;

3- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)(संख्या-) वर्ष 2010-2011) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 39वां प्रतिवेदन;

जारी..2..

4- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड़ (महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2010-2011) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 40वां प्रतिवेदन;

5- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड़ (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2011-2012) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 41वां प्रतिवेदन;

6- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (संख्या-2) वर्ष 2011-2012) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 42वां प्रतिवेदन;

7- राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2011-2012) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 43वां प्रतिवेदन;

8- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड़ (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2012-2013) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 44वां प्रतिवेदन;

9- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (संख्या-1) वर्ष 2012-2013) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 45वां प्रतिवेदन;

10- राजस्थान वित्त निगम(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2012-2013) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 46वां प्रतिवेदन;

11- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के 36वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 47वां प्रतिवेदन;

12- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 72वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 48वां प्रतिवेदन;

13- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1998-1999) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 74वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का परिपालनात्मक 49वां प्रतिवेदन;

14- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 75वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का परिपालनात्मक 50वां प्रतिवेदन;

जारी..3..

15- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 76वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का परिपालनात्मक 51वां प्रतिवेदन;

16- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-2007) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 77वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का परिपालनात्मक 52वां प्रतिवेदन;

17- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2002-2003) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 के 104वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का परिपालनात्मक 53वां प्रतिवेदन;

18- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2007-2008) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 के 5वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 54वां प्रतिवेदन;

19- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण व जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) (संख्या-4) वर्ष 2009-2010) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 के 16वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का परिपालनात्मक 55वां प्रतिवेदन;

20- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण व जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) (संख्या-4) वर्ष 2010-2011) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 के 17वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का परिपालनात्मक 56वां प्रतिवेदन;

21- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण व जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) (संख्या-2) वर्ष 2011-2012) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 के 18वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का परिपालनात्मक 57वां प्रतिवेदन; एवं

जारी..4..

22- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) (संख्या-4) वर्ष 2010-2011) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 के 26वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का परिपालनात्मक 58वां प्रतिवेदन ।

5. याचिका का उपस्थापन

श्रीमती द्रोपती, सदस्य, विधान सभा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलीबंगा की विभिन्न समस्याओं के समाधान करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

6. वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक, निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

1. "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से **जनलेखा समिति, 2016-2017** के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से **प्राक्कलन समिति 'क', 2016-2017** के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से **प्राक्कलन समिति 'ख', 2016-2017** के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से **राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017** के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।"

जारी..5..

7. वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम-232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जनलेखा समिति, 2016-2017, प्राक्कलन समिति "क", 2016-2017, प्राक्कलन समिति "ख", 2016-2017 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है ।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें ।"

8. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-2017

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान

अनुदान की मांग संख्या - 24 - शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर विचार एवं मतदान होगा ।

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 16 मार्च, 2016